


न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल म० प्र० ग्वालियर

159


D 460-PP2-17.



मदन वल्द मगरया गोली

2 कैलाश वल्द मगरया गोली

दोनो निवासी तरोडाकला



तह० मुलताई जिला बैतूल.....आवेदकगण / याचिकाकर्ता

विरुद्ध

केदारनाथ वल्द लीलधर यदुवंशी

निवासी तरोडाकला तह० मुलताई जिला बैतूल.....अनावेदक

पुनरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा 50 म० प्र० भू राजस्व संहिता

आवेदक यह याचिका माननीय अपर आयुक्त नर्मदापुरम संभाग होशंगाबाद के न्यायालयीन प्र० क्र० 230/अपील/15-16 आदेश दिनांक 27.10.16 जो उत्पन्न अनु० अधिका० मुलताई के रा० प्र० क्र० 15बी/121/15-16 आदेश दि० 01.03.16 एव तहसीलदार आमला के न्यायालय के रा० प्र० क्र० ब/121/14-15 आदेश दिनांक 24.08.15(19.10.15) से हुई है के विरुद्ध निम्न तथ्यो व आधारो पर पेश है प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है--

*[Handwritten signature]*

Reader to Colle.

9/01/2017

वास्तविकता, होशंगाबाद

237-17

R1493-PB/17 केंद्र

28.9.2017

आवेदन की ओर से श्री आरं आरं जोड़े आयोगक उपस्थित। उनके द्वारा प्रकण गरी चर्चने का अनुरोध किया गया। अनुरोध खीकार दिया जाता है। प्रकण गरी चर्चने के कारण समाप्त किया जाता है।

अ. व. र. श.

4 केंद्र  
28/9/17  
29/8/17

*(Handwritten signature)*